14/3/18 पत्रावली पेश हुई। बमुलाहजा फरीकैन अपना वकील वादी मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं, साक्ष्य बन्द की जाती है। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया। वारिसान साबित होने से मुताबिक दाखिल खारिज किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner